राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.16(1)साप्र/2/2011 जयपुर, दिनांक 26 AUG 2011

–: आदेश :–

राजस्थान पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री (फैसेलिटी एवं कन्सेशन) नियम 1973 के नियम 2 के प्रावधान अनुसार निम्न माननीय संसदीय सचिव को उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित राजकीय आवास उनके निवास हेतु निःशुल्क उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम आवंटी	आवंटित आवास संख्या
1	श्री रामकेश मीणा माननीय संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर	ए–1, हसनपुरा, खातीपुरा रोड, जयपुर

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

OIC (Web.)
1-9-2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान, सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
5. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड 1, 2, एवं 3/सिविल लाईन्स, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिविल लाईन्स, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, सिविल लाईन्स, जयपुर।
14. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी डायरी संख्या एफ11002690 दिनांक 25.8.2011 के क्रम में।
15. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. श्री रामकेश मीणा, माननीय संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, सिविल लाईन्स, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
19. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
20. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
22. सामान्य प्रशासन (अनुभाग–1, 3, तथा 6) विभाग।
23. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
24. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
25. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
26. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/11 जयपुर, दिनांक : 29.8.2011

-: आदेश :-

श्रीमती इन्द्रावती, कनिष्ठ लिपिक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 17/2011 व सेवा निवृति दिनांक 31.7.2030 होने पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के **नियम 17 के प्रावधान के तहत "आउट ऑफ टर्न"** के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके स्व0 पति श्री सत्यवीर सिंह, कानि0 नं0 500 का राजकीय आवास 492 आर.पी.ए. परिसर, जयपुर में रहते हुये देहान्त हो जाने से श्रीमती इन्द्रावती को राजकीय आवास संख्या 5/70 गॉधीनगर जयपुर निम्न शर्तो पर एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्ते :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

O/C (web.)
1-9-2011

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर। 2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग ।
3. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव(वी.पी.) मुख्यमंत्री को उनकी कार्यालय आई.डी. सं0 एफ-11003297 दिनांक 26.8.11 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर,जयपुर।
8. संबंधित कर्मचारी ।
9. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर शहर को उनके पत्र क्रमांक 6119 दिनांक 16.12.2010 के कम में।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव